टाइम शेयर रिजॉर्टों के वर्गीकरण एवं परियोजना के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश

होटल एवं अन्य सहायक आवास किसी भी स्थान में पर्यटक की यात्रा का एक अखंड हिस्सा है तथा उनके द्वारा दी जा रही सेवाएं यात्रा को पूर्णतः बना या बिगाड़ सकती है। टाइम शेयर के नाम से सुपरिचित वेकेशन ओनरशिप पर्यटन के तेजी से बढ़ने वाले घटकों में से एक है। सावकाश छुट्टियों और परिवार के साथ छुट्टियों आदि के लिए टाइम-शेयर रिजॉर्टों (टीएसआर) की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पर्यटकों को उच्च स्तर की, विश्वस्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास निम्नलिखित श्रेणियों में पूर्णतः चालू टाइम शेयर रिजॉर्टों के वर्गीकरण हेतु एक स्वैच्छिक योजना है:—

पांच सितारा, 4 सितारा और 3 सितारा श्रेणी

होटल एवं रेस्तरां अनुमोदन एवं वर्गीकरण समिति (एचआरएसीसी) प्रदान की जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं के आधार पर टीएसआर का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करती है।

उपर्युक्त वर्णित सभी श्रेणियों में, परियोजना के कार्यान्वयन के चरण में परियोजना अनुमोदन भी प्रदान किया जाता है।

अनुमोदित वर्गीकृत टाइम शेयर रिजॉर्ट/अनुमोदित परियोजनाएं भारत तथा विदेश में स्थित भारत पर्यटन कार्यालयों के द्वारा विश्वव्यापी प्रचार मिलने के साथ-साथ सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाने वाली विभिन्न छूट एवं सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

टाइम शेयर रिजॉर्टों और होटलों को मिश्रित उपयोग की अनुमति है। तथापि, यदि टीएसआर का होटल के रूप में भी अर्थात् मिश्रित प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने का विचार है, तो दिशा-निर्देशों के अनुसार, यथा अपेक्षित या विनिर्दिष्ट सितारा श्रेणी के होटल की सभी सुविधायें एवं सुख-साधन इसमें उपलब्ध होने चाहिए।

टीएसआर का उपयोग वेकेशन ओनरशिप के रूप में किया जाएगा। किसी भी स्थिति में टीएसआर के अपार्टमेंटों को आवासीय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को नहीं बेचा जाएगा।

अखिल भारतीय रिजॉर्ट विकास संध (एआईआरडीए) के सदस्य हेरिटेज और रिजॉर्टों सहित टीएसआर के वर्गीकरण/परियोजना अनुमोदन हेतु विचार किया जाएगा।

इस डाक्यूमेंट में निर्धारित मानदंड और अपेक्षित कागजातों के ब्यौरे दिए गए हैं।

5 सितारा, 4 सितारा तथा 3 सितारा श्रेणियों में वर्गीकरण एवं परियोजना अनुमोदन के लिए, निर्धारित शुल्क के साथ निम्नलिखित पते पर आवेदन भेजे जाएं:—

होटल एवं रेस्तरां प्रभाग,
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार
सी-1, हटमेंट्स, डलहौजी रोड, नई दिल्ली-110011

वचन-पत्र का फार्मेट

सेवा में,

सचिव (पर्यटन)
पर्यटन मंत्रालय
नई दिल्ली

वचन-पत्र

मैंने टाइम शेयर रिजॉर्ट श्रेणी में परियोजना अनुमोदन/वर्गीकरण के संबंध में उपर्युक्त सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एततद्वारा उनके पालन के प्रति सहमत हूं। जहां तक मेरी जानकारी है दी गई सूचना और कागजात सही और अधिप्रमाणित हैं।

हस्ताक्षर और बड़े अक्षरों में नाम
आवेदक की मुहर

स्थान :
तारीख:

टाइम शेयर रिजॉर्टों के परियोजना स्तर पर परियोजना अनुमोदन और वर्गीकरण के लिए सामान्य शर्तें, निबंधन एवं आवेदन फार्मेट

क. परियोजना स्तर पर अनुमोदन

1. पर्यटन मंत्रालय डाक्यूमेंटेशन के आधार पर परियोजना चरण में टीएसआर को अनुमोदन देता है, जो टीएसआर को सरकार की ओर से समय-समय पर घोषित विभिन्न लाभ हासिल करने में मदद देता है। परियोजना अनुमोदन के लिए अपेक्षित दस्तावेज नीचे सूचीबद्ध हैं।

2. परियोजना अनुमोदन 5 वर्षों के लिए मान्य है। अगर उसके सभी कमरे तैयार नहीं भी हुए हों तो भी पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की परियोजना स्वीकृति टीएसआर के चालू होने की तारीख के तीन माह के बाद समाप्त हो जाता है। तीन महीनों के भीतर टीएसआर को अनिवार्य रूप से वर्गीकरण के लिए आवेदन देना होगा।

3. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास दिशा-निर्देशों/शर्तों में समय-समय पर संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

4. आवेदन प्रपत्र यह कवर करता है–

    i. टीएसआर का प्रस्तावित नाम

    ii. प्रमोटरों का नाम, उनके पूर्ववृत्त व्यवसाय पर एक टिप्पणी के साथ

    iii. प्रमोटरों का पूरा डाक पता/दूरभाष/फैक्स/ईमेल

    iv. मालिकों/प्रमोटरों की स्थिति

        1. यदि सार्वजनिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियम की प्रतियों के साथ

        2. अगर साझेदारी है, तो साझेदारी विलेख तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक-एक प्रति

        3. अगर मालिकाना प्रतिष्ठान है, तो मालिक का नाम और पता/पंजीकरण प्रमाण-पत्र

    v. डाक पते के साथ टीएसआर साइट का स्थान

    vi. साइट का विवरण

        1. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

        2. टाइटल-निजी/पट्टे पर, बिक्री/पट्टा विलेख की प्रतियों के साथ

        3. स्थानीय प्राधिकरणों से भूमि के उपयोग के परमिट की प्रति

        4. रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, मुख्य खरीददारी केंद्रों से दूरी (कि.मी. में)

    vii. परियोजना का विवरण

        1. व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रति

        2. नियोजित सितारा श्रेणी

        3. अपार्टमेंटों की संख्या तथा सभी प्रकार के कमरे का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)

4. अटैच्ड बाथरूम की संख्या तथा क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)

5. सार्वजनिक स्थानों का विवरण-लॉबी/लाऊंज, रेस्तरां, बार, शॉपिंग, सम्मेलन कक्ष/कांफ्रेंस हॉल, हैल्थ क्लब, स्वीमिंग पूल, पार्किंग सुविधाओं का विवरण

6. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं

7. इको-फ्रेंडली व्यवहार तथा अन्य कोई अतिरिक्त सुविधाएं

(कृपया ऊपर बताए गए 5, 6 तथा 7 में वर्णित कृपया प्रत्येक सुविधाओं के लिए क्षेत्रफल वर्ग फीट में दर्शाएं)

8. परियोजना पूरा और चालू होने की संभावित तारीख

viii. निम्नलिखित को दर्शाते हुए मालिकों और ऑर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षरित नक्शा/स्केच प्लान:

1. साइट प्लान

2. फ्रंट और साइड की ऊंचाई

3. सभी मंजिलों के लिए फ्लोर प्लान

4. वर्गफुट में लंबाई-चौड़ाई के साथ अतिथि कक्ष तथा बाथरूम का ब्यौरा

5. अग्निशमन उपायों/हाइडरेंट आदि का ब्यौरा

6. ऊर्जा संरक्षण और वाटर हॉर्वेस्टिंग के लिए उपायों का ब्यौरा

ix. अतिथि कक्षों, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए वातानुकूलन संबंधी ब्यौरे

x. निम्नलिखित के द्वारा स्थानीय अनुमोदन

1. नगर निगम प्राधिकरण

2. संबंधित पुलिस प्राधिकारी

3. आवश्यकतानुसार कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी

4. हवाई अड्डे के पास स्थित परियोजनाओं के लिए भारत विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

उपर्युक्त अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की जिम्मेदारी प्रमोटरों/संबंधित कम्पनी, जैसा भी मामला हो, की है। मंत्रालय का अनुमोदन किसी प्रकार के सांविधिक अनुमोदन का विकल्प नहीं है तथा किसी प्रकार के उल्लंघन होने की स्थिति में, दिया गया अनुमोदन कोई भी नोटिस दिए बिना वापिस लिया जा सकता है।

xi. प्रस्तावित पूंजी ढांचा

1. कुल परियोजना लागत

(क) प्रदत्त पूंजी के ब्यौरे के साथ इक्विटी घटक

(ख) ऋण-निधिकरण के चालू और प्रस्तावित स्रोत

xii. विनियामक शर्तों का स्वीकृति-पत्र

xiii. आवेदन शुल्क

5. परियोजना प्लानों में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, अनुमोदन की मांग नए सिरे से करनी होगी।

6. पर्यटन मंत्रालय के प्राधिकृत अधिकारियों को पूर्व नोटिस के बिना, समय-समय पर परिसर के निरीक्षण के लिए प्रवेश की सुलभ अनुमति होनी चाहिए।

7. मंत्रालय को टीएसआर चालू होने की तारीख के बारे में अवश्य तुरंत सूचित करना और इस तारीख के तीन महीनों के भीतर उसके वर्गीकरण के लिए आवेदन करेगा।

8. परियोजना अनुमोदन तथा बाद के विस्तारीकरण के लिए, अगर जरूरत हो तो, भुगतान किए जाने वाले शुल्क निम्न प्रकार हैं। डिमांड ड्राफ्ट "वेतन एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय, नई दिल्ली" को देय होंगे।

सितारा श्रेणी	राशि ₹ में
5-सितार	15,000
4-सितारा	12,000
3-सितारा	8,000

9. प्रमोटर निश्चित रूप से प्रत्येक तिमाही के लिए प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से भेजें, ऐसा नहीं करने पर परियोजना अनुमोदन रद्द समझा जाएगा।

10. आवेदन के समय सभी दस्तावेज मान्य होने चाहिए तथा विभाग को भेजी जा रही प्रतियां राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित होने चाहिए। स्थानीय भाषाओं में भेजे जा रहे दस्तावेजों के साथ विधिवत् रूप से प्रमाणित अंग्रेजी/राजभाषा में इनके अनुवाद भी होने चाहिए।

11. श्रेणी में किसी प्रकार के बदलाव के लिए प्रमोटर आवेदन किए जाने वाली श्रेणी के लिए नए आवेदन पत्र तथा निर्धारित शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन करें।

12. परियोजना प्लानों अथवा प्रबंधन में किसी प्रकार के बदलाव की जानकारी 30 दिनों के भीतर पर्यटन विभाग/क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय (3, 4 तथा 5 सितारा हैरिटेज श्रेणियों के लिए) को दे दी जानी चाहिए, अन्यथा अनुमोदन वापस ले लिया गया/निरस्त समझा जाएगा।

13. आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन करने से पहले दस्तावेज में समाविष्ट सुविधाओं और सेवाओं की चेकलिस्ट देखें।

14. अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

15. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के पास समय-समय पर दिशा-निर्देशों/निबंधन एवं शर्तों में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।

ख. टीएसआर वर्गीकरण/पुर्नवर्गीकरण

1. नए चालू हुए टीएसआर के वर्गीकरण, निश्चित रूप से अनुमोदित टीएसआर परियोजनाओं की समाप्ति के 3 महीनों के भीतर मांगे जाने चाहिए। चालू टीएसआर वर्गीकरण के लिए किसी भी चरण पर विकल्प दिया जा सकता है। तथापि, पुर्नवर्गीकरण चाहने वाले टीएसआर, वर्गीकरण की वर्तमान अवधि के समाप्त होने से एक वर्ष पूर्व पुर्नवर्गीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

2. अगर टीएसआर वर्गीकरण आदेश के समाप्त होने से तीन माह पूर्व पुन: आवेदन नहीं देते हैं, तो आवेदन नए सिरे से वर्गीकरण के मामले के रूप में माना जाएगा।

3. एक बार अगर टीएसआर वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए आवेदन देता है तो उसे एचआरएसीसी द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। निरीक्षण को स्थगित करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. वर्गीकरण, आदेश जारी होने की तिथि से 5 (पांच) वर्ष तक मान्य होंगे अथवा पुनः वर्गीकरण के मामले में पिछले वर्गीकरण के समाप्त होने की तिथि से अगर सभी मान्य दस्तावेजों के साथ ऊपर बताई गई अपेक्षित अवधि के भीतर आवेदन स्वीकार किए गए हों। अधूरे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

5. वर्गीकरण हेतु आवेदन देने वाले टीएसआर निश्चित रूप से निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें।

आवेदन पत्र के साथ विवरण

i. टीएसआर का नाम

ii. प्रमोटरों/मालिकों का नाम तथा पता तथा उनके पूर्व व्यवसाय पर एक नोट

iii. होटल का पूरा डाक पता दूरभाष नं./फैक्स/ईमेल के साथ

iv. मालिकों/प्रमोटरों की स्थिति

 1. यदि पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ज्ञापन तथा संस्था के अंतर्नियमों की प्रतियों के साथ
 2. यदि साझेदारी है तो साझेदारी विलेख तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति
 3. यदि मालिकाना संस्था है तो मालिक का नाम और पता/पंजीकरण प्रमाण-पत्र

v. होटल के चालू होने की तिथि

vi. हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/शहरी केन्द्र/शहर के निचले शॉपिंग क्षेत्रों से दूरी (कि.मी.) तथा डाक पते के साथ टीएसआर स्थल का विवरण

vii. टीएसआर का विवरण

 1. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) हक के साथ मालिकाना पट्टे पर बिक्री/पट्टा विलेख की प्रतियों के साथ
 2. स्थानीय प्राधिकारियों से भू उपयोग के परमिट की प्रति
 3. सितारा श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है
 4. कमरों की संख्या तथा प्रत्येक श्रेणी के कमरे का क्षेत्रफल (सिंगल/डबल/सूट्स) वर्ग फीट में
 5. संलग्न बाथरूम की संख्या
 6. सार्वजनिक स्थानों का विवरण - लॉबी/लाउंज, रेस्तरां, बार, शॉपिंग क्षेत्र, बैंकवेट/सम्मेलन कक्ष, हैल्थ क्लब, स्विमिंग पूल, पार्किंग सुविधाएं, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सुविधाएं, इको-फ्रैंडली व्यवहार तथा अन्य अतिरिक्त सुविधाएं। प्रत्येक सुविधा के लिए क्षेत्रफल वर्ग फीट में दर्शाया जाए
 7. अतिथि कक्ष तथा बाथरूम के विवरण वर्ग फीट में क्षेत्रफल के साथ।

8. अग्नि शमन उपायों/नलों इत्यादि के विवरण।

9. ऊर्जा संरक्षण तथा वाटर हार्वेस्टिंग के उपायों एवं अन्य इको-फैंडली उपायों और पहलों के विवरण।

10. अतिथि कक्षों, सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए वातानुकूलन का विवरण।

प्रमाण-पत्र/अनापत्ति प्रमाणपत्र (सत्यापित प्रतियां)

(क) नगरपालिका/निगम से इस आशय का प्रमाणपत्र/लाइसेंस कि आपका प्रतिष्ठान एक टीएसआर के रूप में पंजीकृत है

(ख) टीएसआर को चलाने के लिए अधिकार देने के लिए संबंधित पुलिस विभाग से प्रमाण-पत्र/लाइसेंस

(ग) स्वच्छता/स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके प्रतिष्ठान को क्लीयरेंस देने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी/सैनीटरी निरीक्षक से क्लीयरेंस प्रमाणपत्र

(घ) अग्निशमन व्यवस्थाओं के संबंध में अग्नि सेवा विभाग (स्थानीय फायर ब्रिगेड प्राधिकारियों) से अनापत्ति प्रमाणपत्र

(ङ) सार्वजनिक देयता बीमा

(च) बार लाइसेंस (सिर्फ 3*, 4* तथा 5* के लिए आवश्यक)

(छ) मुद्रा विनियम लाइसेंस (सिर्फ 3*, 4* तथा 5* के लिए आवश्यक)

(ज) स्वीकृत भवन निर्माण योजना/अधिभोग प्रमाण-पत्र

(झ) अगर पहले वर्गीकृत हुआ है, तो पूर्व में पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी वर्गीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति

(ञ) हेरिटेज संपत्ति के लिए, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संपत्ति की उम्र को बताता हुआ तथा नए एवं पुराने निर्मित क्षेत्रों को अलग से दर्शाता हुआ प्रमाण-पत्र

(त) कोई अन्य स्थानीय प्राधिकारी, जैसा अपेक्षित हो

(थ) हवाई अड्डों के निकट, स्थित परियोजनाओं के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र

(द) आवेदन शुल्क

उपर्युक्त अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, मालिकों/प्रमोटरों/संबंधित कंपनी की जिम्मेदारी है, जैसा भी मामला हो। विभाग का अनुमोदन किसी सांविधिक अनुमोदन का विकल्प नहीं है तथा दिया गया अनुमोदन किसी उल्लंघन या तथ्यों को गलत रूप से रखने के मामले में, बिना किसी नोटिस के वापिस ले लिया जा सकता है।

6. वर्गीकरण या पुन: वर्गीकरण के लिए सभी आवेदन सभी संदर्भ में पूरा होना चाहिए - आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क, निर्धारित क्लीयरेंस, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र आदि अधूरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

7. हैरिटेज होटलों के रूप में वर्गीकरण के लिए टीएसआर पात्र होंगे, बशर्तें कि न्यूनतम 50 प्रतिशत फ्लोर एरिया 1935 से पहले निर्मित हुआ हो तथा अग्रभाग में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया हो। ऐसे

टीएसआर, जो इस दिशा-निर्देशों के जारी होने से पहले हैरिटेज श्रेणी के अंदर वर्गीकृत/पुनः वर्गीकृत हुए हैं, वो अगर 1935-1950 के बीच बने हों तो हैरिटेज श्रेणी के अंदर बने रहेंगे।

8. वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के लिए आवेदन शुल्क निम्न प्रकार से हैं। डिमांड ड्राफ्ट "वेतन एवं लेखा अधिकारी, पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली" के नाम देय होंगे

सितारा श्रेणी	वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण शुल्क ₹ में
3-सितारा	10,000
4-सितारा	15,000
5-सितारा	20,000

9. वर्गीकरण समिति निम्न प्रकार से होगी—

(क) अध्यक्ष (एचआरएसीसी) या उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में एआईआरडीए/एफएचआरएआई/एचएआई/आईएटीओ/टीएएआई/आईएचएम/आरडी/स्थानीय भारत पर्यटन कार्यालय के प्रतिनिधि/सदस्य सचिव से प्रतिनिधि समिति के अन्य सदस्य होंगे।

(ख) अध्यक्ष तथा कोई भी 3 सदस्य कोरम का गठन करेंगे।

(ग) कार्यवृत्त, अध्यक्ष (एचआरसीसी) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(घ) एचआरएसीसी के निर्णय से किसी प्रकार की असंतुष्टि के मामले में, वर्गीकरण/पुनः वर्गीकरण के संबंध में संदेश प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर, टीएसआर, समीक्षा तथा पुनर्विचार हेतु सचिव (पर्यटन), भारत सरकार के पास अपील कर सकते हैं। इस अवधि के बाद किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. टीएसआर दो चरण प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे—

संलग्न चेकलिस्ट की तुलना में सुविधाओं एवं सेवाओं की मौजूदगी का मूल्यांकन किया जाएगा।

(क) टीएसआर को शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों हेतु उनके अनुकूल व्यवहारों एवं सुविधाओं को अपनाना होगा।

(ख) मार्क शीट की तुलना में सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा।

11. टीएसआर से अपेक्षा की जाती है कि वे हमेशा निर्धारित स्तर को कायम रखे। वर्गीकरण कमेटी टीएसआर का निरीक्षण बगैर सूचित किए किसी समय कर सकती है। समिति यह अनुरोध कर सकती है कि सेवाओं के स्तर की जांच के लिए सदस्यों के एक रात ठहरने की व्यवस्था की जाए।

12. एचआरएसीसी द्वारा बताई गई कोई कमियां/संशोधन, जो जांच के दौरान होटल के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श में दर्शाई गई हैं, उन्हें निर्धारित समय के अंदर अवश्य पूरा करना है। ऐसा नहीं करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा।

13. समिति आवेदन किए गए से एक सितारा वर्ग नीचे, लेकिन ऊपर नहीं, दे सकती है।

14. टीएसआर को समिति को यह विश्वास दिलाने में सक्षम होना चाहिए कि वे ऊर्जा संरक्षण तथा जल संचय, कचड़ा विनियोजन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के मानकों के तहत निपटान/रीसाइक्लिंग और ऐसे ही अन्य इको-फ्रेंडली उपायों के अनुपालन हेतु पर्याप्त कदम उठा रहे हैं।

15. सितारा श्रेणी में किसी प्रकार के बदलाव के लिए प्रमोटर को निर्धारित शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा।

16. टीएसआर की योजनाओं या प्रबंधन में किसी प्रकार के बदलाव की सूचना एचआरएसीसी, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय, को 30 दिनों के अंदर दी जानी है, अन्यथा वर्गीकरण वापस ले लिया गया/निरस्त माना जाएगा।

17. आवेदकों से अनुरोध है कि वे आवेदन देने से पहले इस दस्तावेज में दिए गए सुविधाओं एवं सेवाओं की जांच सूची को पढ़ लें।

18. अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन दिए जाने के तीन महीनों के अंदर वर्गीकरण के सभी मामलों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

19. पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, के पास दिशा-निर्देशों/शर्तों को समय-समय पर बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

❍❍❍

टाइम शेयर रिजॉर्टों के अनुमोदन हेतु दिशा-निर्देश

सामान्य	3*	4*/5*/ एच		टिप्पणी
भू-तल तथा उससे ऊपर के दो तलों से ऊपर के भवनों के लिए 24 घंटे लिफ्ट	एन	एन		नए टीएसआर के लिए अनिवार्य/स्थानीय कानूनों द्वारा इस शर्त में रियायत दी जा सकती है।
पार्किंग	एन	एन		पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान दिया जाए।
अतिथि कक्ष संपूर्ण वर्ष के लिए उपलब्ध अपार्टमेंटों की न्यूनतम सं. (10) सभी कमरों में बाहर की ओर खिड़की	एन	एन		अवकाश के लिए उपलब्ध अपार्टमेंट सप्ताहों की संख्या पात्र सदस्यों से कम नहीं हो।
बरामदा, शयन कक्ष, लिविंग रूम, रसोई तथा भोजन कक्ष सहित स्टूडियो वर्ग फुट में न्यूनतम तल क्षेत्रफल	250	251-350		
शयन कक्ष, लिविंग, स्नान, रसोई तथा भोजन कक्ष सहित 1 बेडरूम वर्ग फुट में न्यूनतम तल क्षेत्रफल	450-650	550-650		लिविंग, भोजन, बेडरूम तथा रसोई क्षेत्र दरवाजों से अलग किए गए हैं।
शयन कक्ष, लिविंग, स्नान, रसोई तथा भोजन कक्ष सहित 2 बेडरूम वर्ग फुट में न्यूनतम तल क्षेत्रफल	650-850	750-850		लिविंग, भोजन, बेडरूम तथा रसोई क्षेत्र दरवाजों से अलग किए गए हैं।
शयन कक्ष, लिविंग, स्नान, रसोई तथा भोजन कक्ष सहित 3 बेडरूम वर्ग फुट में न्यूनतम तल क्षेत्रफल	1000	1250		लिविंग, भोजन, बेडरूम तथा रसोई क्षेत्र दरवाजों से अलग किए गए हैं।
भोजन क्षेत्र	एन	एन		अधिकतम संख्या में बिस्तर लगाने के लिए भोजन की मेज और कुर्सियों को अलग स्थान देना।
वातानुकूलन	एन	एन		समुद्र तल से 2000 फुट से कम ऊंचाई वाले स्थलों में रिजॉर्टों/होटलों के लिए लागू/वातानुकूलन/हीटिंग क्लाइमेट की स्थिति और वास्तुकला पर निर्भर करते हैं। 4* एवं 5* के लिए कमरे का तापमान 20 से 28 डिग्री सी के बीच होना चाहिए और 3* के लिए 20 से 24 डिग्री सी/50 प्रतिशत अपार्टमेंट वातानुकूलित होना चाहिए, जैसा भी लागू हो अनुरोध पर उपलब्ध करवाई जाए।
आयरन बोर्ड के साथ आयरन	-	-		अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाए।
15 एम्पीयर की अर्थिंग वाले पावर सॉकेट	एन	एन		
टेलीविज़न	एन	एन		
इंटरनेट कनेक्शन	डी	एन		3 सितारा एवं 4 सितारा के लिए बिज़नेस सेंटर में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
कमरे में टेलीफोन	एन	एन		
प्रति बिस्तर न्यूनतम 12 कपड़ों के हैंगर के साथ वाड्रोब	एन	एन		

शैल्फ और दराज का स्थान	एन	एन		
बाथरूम डेडीकेटेड (निजी) बाथरूमों की संख्या - स्टूडियो	**	**		
डेडीकेटेड (निजी) बाथरूमों की संख्या - 1 बेडरूम	1	1		
डेडीकेटेड (निजी) बाथरूमों की संख्या - 2 बेडरूम	2	2		
डेडीकेटेड (निजी) बाथरूमों की संख्या - 3 बेडरूम	2	3		
बाथरूम का वर्ग फुट में न्यूनतम आकार	36	40		
सीट तथा लिड एवं टॉयलेट पेपर के साथ पाश्चात्य डब्ल्यू सी टॉयलेट	एन	एन		
फर्श तथा दीवार पर छिद्र रहित सतह	एन	एन		
फर्नीचर	एन	एन		दो सोफा के साथ पलंग, कुर्सियां एवं आवश्यकतानुसार अन्य फर्नीचर
जल की बचत वाले नल/शॉवर	एन	एन		
रसोई/किचनेट्स				
स्टूडियो के लिए किचनेट्स	एन	एन		डिफाइन्ड एरिया-2 बर्नर स्टोव टॉप, नो ओपन फ्लेम, माइक्रोवेव ओवन अथवा ओटीजी, फ्रिज, बर्तन, क्रॉकरी एवं कटलरी, टी/कॉफी मेकर सिंक, एग्ज़ास्ट फैन अथवा सेन्ट्रल एग्ज़ास्ट
एक बेडरूम एवं इससे बड़े के लिए रसोई	एन	एन		डेडीकेटेड किचन - 2 बर्नर स्टोव, माइक्रोवेव ओवन, टी/कॉफी मेकर, फ्रिज, एग्ज़ास्ट फैन, बर्तन, कटलरी, क्रॉकरी
वाशिंग मशीन/ड्रायर	डी	डी		लांड्री/ड्राई क्लीनिंग सेवाओं के लिए व्यवस्था की जाए
सार्वजनिक क्षेत्र				
लॉबी क्षेत्र में बैठने के लिए लाउंज	एन	एन		
स्वागत कक्ष	एन	एन		न्यूनतम 16 घंटे व्यक्ति की उपलब्धता और कॉल सर्विस 24 घंटे
संलग्न सार्वजनिक कमरों में हीटिंग एवं कूलिंग की सुविधा दी जाएगी	डी	एन		तापमान 20-28 डिग्री सेल्सियस के बीच हो
रेस्तरां/भोजन कक्ष	एन	एन		सभी तीनों वक्त के भोजन के लिए बहु व्यंजन
कूड़ा कक्ष (गीला एवं सूखा)	एन	एन		
सामान रखने की सुविधा के लिए कमरा	एन	एन		
हेल्थ फिटनेस सुविधाएं		एन		4 सितारा एवं उससे ऊपर के लिए आवश्यक, जबकि 3 सितारा के लिए वांछनीय

अतिथि सेवाएं				
प्रसाधन दुकान	एन	एन		
सामान्य क्रेडिट कार्डों की स्वीकृति	एन	एन		
प्रांगण में एक सार्वजनिक टेलीफोन जिसके यूनिट शुल्क की जानकारी आम हो	एन	एन		
अतिथियों के लिए आने वाले संदेशों को रिकॉर्ड किया जाएगा एवं उन्हें प्रदान किया जाएगा।	एन	एन		
फ्रंट डेस्क पर डॉक्टरों का नाम, पता एवं टेलीफोन नंबर	एन	एन		
अनुरोध पर सामान पहुंचाने की सहायता	एन	एन		
टिकट एवं मेल की सुविधाएं	एन	एन		
सेफकीपिंग सुविधाएं उपलब्ध	एन	एन		
स्मोक/हीट डिटेक्टर्स	एन	एन		मौजूदा भवन कानूनों के अनुरूप ये बैटरी संचालित हो सकते हैं।
कमरों में दरवाजे के पीछे अग्नि एवं आपात स्थिति के प्रावधान की सूचनाएं	एन	एन		
अतिथि वाले तलों पर इमरजेंसी पावर के साथ फायर एक्जिट संकेत	एन	एन		
सार्वजनिक देनदारी बीमा	डी	डी		
स्वीमिंग पूल	डी	एन		पर्वतीय गंतव्यों के लिए इसमें छूट दी जा सकती है।
इन्डोर गेम्स क्रियाकलाप कक्ष	एन	एन		
टेनिस, बैडमिंटन जैसे आउटडोर गेम्स	डी	एन		शहरी टाइम शेयर संपत्ति, पर्वतीय रिजॉर्टों व अन्य जहां के स्थान की स्थिति अनुकूल नहीं है, वहां इनमें छूट दी जा सकती है।

❍❍❍